(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1298–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–3–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील सांवेर जिला इंदौर, प्रकरण कमांक 38/अपील/2014–15.

तुफानसिंह पिता रामचन्द्र

निवासी ग्राम नई बारोली तहसील सांवेर जिला इंदौर,

.....आवेदक

विरूद्ध

सिंगाराम पिता शिवजीराम

निवासी ग्राम मण्डोत तहसील सांवेर जिला इंदौर

.....अनावेदक

श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक, आवेदक

श्री राकेश सोलंकी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/2/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 27–5–2015 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 1–9–15 को प्रस्तुत की गई । चूँकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिये

अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 38/अपील/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–3–16 को अंतरिम आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में फौती नामान्तरण किया गया है जिसमें अनावेदक हितबद्ध पक्षकार नहीं है, इसलिये उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष असत्य आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई थी और उनके द्वारा प्रकरण में आये तथ्यों पर बिना विचार किये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी कस्तूरीबाई द्वारा आवेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक का नामान्तरण करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक न तो प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और न ही तहसील न्यायालय में पक्षकार था, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये अपील प्रस्तुत की गई थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार करना चाहिये था, इसलिये उनके द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करने में विधि की गंभीर त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपील में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू नहीं होते है, उक्त प्रावधान केवल दावे पर ही लागू होते हैं, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त करने तथा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में पूर्णत विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद भी प्रचलित है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक को आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत करना चाहिये थी, परन्तु उनके द्वारा सीधे इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो अवैधानिक कार्यवाही है। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में फौती नामान्तरण किया गया है, जो संहिता के प्रावधानों के अनुरूप है जिसकी अनावेदक को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था तथा अनावेदक अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि में अपना हित प्रमाणित नहीं कर पाया है । तहसीलदार द्वारा विधि एवं सम्यक् प्रकिया का पालन करते हुये दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 195 में वर्णित प्रावधानों का पालन करते हुये गुणदोष पर आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बजरंगी विरूद्ध बद्रीलाल, 2003 रा.नि. 162 एवं भंवरलाल विरूद्ध कस्तूरीबाई 2008 रा.नि. 94 2008(1) एमपीएलजे 216 (उच्च न्यायालय) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि –

> "नामान्तरण में किसी भी व्यक्ति के स्वत्व का विनिश्चय नहीं होता बल्कि यह राज्य या निकाय द्वारा वित्तीय प्रयोजनों के लिये किया जाता है ।"

इस वैधानिक तथ्य पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचार नहीं कर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अवधि बाह्य अपील में अंतरिम आदेश पारित कर अपील को समय सीमा में मान्य करने में तथा आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत

आवेदन को अमान्य करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में विलम्ब क्षमा करने का कारण भी नहीं दर्शाया गया है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–03–2016 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार, तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–05–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर